Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 23/21 सी.आई.एस.क्र.– 23/21

तुलसी साह बनाम सीया देवी एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
22/04/25	वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 20.02.25 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वादी के द्वारा पूर्व में आदेश 39 नियम 1 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा वादभूमि पर वादी का पिता के समय से ही घर है और पिता के बाद वादी समस्त भूमि पर दखल कब्जे में आया परन्तु वादी के चाचा खतियानी रैयत सुखदेव साह के विधिक वारिसान से खेसरा–386 के रकबा 20.75 डिसमिल उत्तर से केवाला करा लिये और वादी को बेदखल कर दिये। प्रतिवादी संख्या 1 ने खेसरा–386 रकबा–16.6 डिसमिल के संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 से दिनांक 09.09.15 को गलत केवाला करा लिया। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि पर कब्जा करने के लिए प्रयासरत थे जिसके संबंध में धारा 107 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई भी चला है। प्रतिवादी वादी को वादभूमि से बेकब्जा कर कब्जा पाना चाहते हैं। अतः निवेदन है कि वादभूमि का भौतिक सत्यापन कराये जाने की कृपा की जाए। प्रतिवादीगण की ओर से उक्त आवेदन पर मौखिक आपत्ति व्यक्त की गई है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा यह वाद खाता–491 खेसरा–386 के दक्षिण से 25½ डिसमिल जमीन के संबंध में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वत्व की घोषणा हेतु लाया गया है। वादी का कथन है कि वादभूमि पर वादी का कब्जा है जिस पर वादी का आवासीय घर है। जिस पर से वादी को प्रतिवादी संख्या 1 बेदखल करना चाहती है। जिस कारण से वादी के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवेदन पूर्व में प्रस्तुत किया गया है। परंतु उक्त आवेदन के निष्पादन हेतु अभिलेख पर वादभूमि का भौतिक स्वरूप उपलब्ध नहीं है। अतः वादी के आवेदन पर न्याय हित में स्वीकृत किया जाता है तथा वादी को भी निर्देश दिया जाता है कि अधिवक्ता आयुक्त खर्च 1500 रूपये जमा करें। वाद आगामी दिनांक 17.05.25 अग्र कार्यवाही हेतु नियत। हस्ताक्षर अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूणियाँ	